

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, भवानी सिंह रोड, जयपुर

विज्ञापन संख्या: 1/2013

दिनांक: 11/09/2013

कनिष्ठ अभियन्ता - सिविल/यांत्रिकी (डिप्लोमाधारी/डिप्लोमाधारी) सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा जल संसाधन विभाग- 2013 दिनांक 10.11.2013 को जयपुर में आयोजित की जावेगी। परीक्षा हेतुपूर्ण सूचना एवं विस्तृत विज्ञापन वेबसाईट <http://examwrdr.rajasthan.gov.in> or <http://waterresources.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध हैं। आवेदक को Online Application Form भरने होंगे।

भर्ती हेतु पदों का विवरण :-

क्र.सं.	पदों का विवरण	कुल पदों की संख्या	सामान्य पदों की संख्या												आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान राज्य के)			Horizontal (श्रीचिज)							
			महिला				महिला				महिला				विशेष शिपडा वर्ग			निहाकजन	सूदपूर्व सीनिक	उत्सृष्ट खिलार्ड					
			अनुसूचित जाति वर्ग		अनुसूचित जन जाति वर्ग		शिपडा वर्ग		विशेष शिपडा वर्ग		महिला		महिला		महिला										
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला					
1	कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा) सिविल	244	15	4	-	-	49	21	2	-	37	17	1	-	72	22	2	-	2	-	-	-	7	30	4
2	कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा) सिविल	19	-	-	-	5	1	-	-	3	2	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा) यांत्रिक	23	12	2	-	2	1	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
4	कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा) यांत्रिक	28	11	2	-	3	1	-	-	2	2	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-

Online Application Form भरने की अन्तिम तिथी 22.10.2013. रात्रि 12.00 बजे तक हैं। पूर्ण विज्ञापन एवं सभी सम्बंधित विवरण Website <http://examwrdr.rajasthan.gov.in> or <http://waterresources.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

(पी.एल.सौलंकी)
मुख्य अभियन्ता
जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर

(2)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, भदानी सिंह रोड, जयपुर

—: विज्ञापन सं. 1/2013 :-

दिनांक : 11.09.2013

कनिष्ठ अभियन्ता –सिविल/यांत्रिकी (डिप्रीधारी/डिप्लोमाधारी) सीधी भर्ती-2013

1. राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (सिंचाई शाखा) सेवा नियम 1967 के प्रावधानों के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता – सिविल/यांत्रिकी (डिप्रीधारी/डिप्लोमाधारी) के पदों पर सीधी भर्ती-2013 के लिये, निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) दिनांक 23.09.2013 से 22.10.2013 रात्रि 12.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।

विशेष नोट :-

- I. Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी रसय आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जावेगा।
 - II. विज्ञापित पदों में कमी या बढ़ोतरी का अधिकार राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (सिंचाई शाखा) सेवा नियम 1967 के नियम-16 के अनुसार विभाग के पास निहित रहेगा।
 - III. आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी।
 - IV. आवेदन हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय तक आवेदक द्वारा Online Application Form भरने तक की सभी प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने के लिए आवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
 - V. आवेदक पात्रता के आधार पर एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है।
 - VI. सेवा नियम के सम्बन्ध में उक्त विज्ञापित हेतु बिन्दु संख्या 1 में अंकित विवरण के निर्देश मान्य होंगे।
2. आवेदन प्रक्रिया :- आवेदन Online Application Form में लिये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र वेबसाइट <http://examwrld.ralasthan.gov.in> पर उपलब्ध हैं। Online Application Form राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है, इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/- की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी (रुपये 20/- आवेदन पत्र भरने हेतु + रुपये 10/- आवेदन शुल्क जमा कराने हेतु)। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रु 20/- की रसीद पृथक से कटवानी होगी।

(अ)

आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहता है, तो वह ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा करा कर वेबसाइट <http://examwrd.rajasthan.gov.in> से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहाँ आवेदन शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रुपये 10/- ही सेवा शुल्क देना होगा एवं उसे एक टोकन संख्या उपलब्ध कराई जावेगी जिसका उपयोग कर वह स्वयं के स्तर पर आवेदन भरने की आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। हाथ से भरे गये आवेदन पत्र किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

परीक्षा शुल्क के ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग से भुगतान के लिए ई-मित्र पोर्टल पर आवश्यक कॉलम की पूर्ति करने के उपरान्त वहाँ से प्राप्त टोकन संख्या को ऑनलाइन फार्म में भरें।

अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र कमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है।

3. प्रवेश पत्र :- विभाग द्वारा समस्त ऑनलाइन आवेदकों के वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे तथा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। सभी प्रवेश पत्र दिनांक 31-10-2013 तक वेबसाइट पर जारी कर दिये जावेंगे। यह सूचना अधिकृत वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपने आवेदन पत्र कमांक, जन्मतिथी एवं मोबाईल नम्बर इत्यादि की सूचना का उपयोग कर अधिकृत वेबसाइट से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

4. परीक्षा शुल्क :- आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर/ऑनलाइन स्वयं के द्वारा, जमा करावेंगे।

क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रुपये 1500/- (अक्षरों रूपये पन्द्रह सौ मात्र)।

ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रुपये 750/- (अक्षरों रूपये सात सौ पचास मात्र)।

ग) रामस्त, निःशक्त जन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु रुपये 375/- (अक्षरों रूपये तीन सौ पच्चेतर मात्र)।

नोट :

I ई-मित्र एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने वाले सभी आवेदकों को निर्धारित सेवा शुल्क रुपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन पत्र भरने हेतु + रुपये 10/- आवेदन शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि अतिरिक्त रूप से देनी होगी।

II ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट <http://examwrd.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर लें और उसे

2

ऑनलाइन भरने से पूर्व हाथ से भरलें । यह प्रारूप ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा ।

III आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अन्तिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिन्टआउट लेकर आश्वरत हो लेवे कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं ।

IV आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) की सूचीवेबसाइट <http://examwrd.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है ।

V राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी, जहाँ ई-मित्र तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) नहीं है, वे वेबसाइट <http://examwrd.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूची के अनुसार उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं । सुविधा के लिये उनके दूरभाष नम्बर भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

VI आवेदक यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क को ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम दिनांक से एक दिन पूर्व अर्थात् 21.10.2013 तक ही स्वीकार किया जावेगा ।

5. पदों का विवरण :-

कनिष्ठ अभियन्ता - सिविल/यांत्रिकी (डिप्लोमाधारी/डिप्लोमाधारी)

क्र. सं.	पदों का विवरण	कुल पदों की संख्या	समान्य पदों की संख्या		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान राज्य के)												Horizontal (क्षेत्र)					
			अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जन जाति वर्ग				पिछड़ा वर्ग				विशेष पिछड़ा वर्ग				नियतजन	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी	
			पुरुष		महिला		पुरुष		महिला		पुरुष		महिला		पुरुष		महिला					
			सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष				
1	कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा) सिविल	244	15	4	4	4	49	21	2	1	37	11	1	72	22	2	1	2	7	30	4	
2	कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा) सिविल	19	-	-	-	5	1	-	-	3	2	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-
3	कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा) यांत्रिक	23	12	2	-	2	1	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	3	-	-
4	कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा) यांत्रिक	28	11	2	-	3	1	-	-	2	2	-	-	4	3	-	-	-	-	3	-	-

(अ)

नोट :

1. (i) उपरोक्त पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों, जो राजस्थान के स्थाई निवासी हैं, से ही भरे जाएंगे। राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
(ii) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्गों की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से गिने राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमिलेयर एवं नग्न क्रीमिलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
2. (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके आरक्षित पदों को सामान्य/पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जावेगा।
(ii) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।
3. विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, अनुपातिक रूप से समायोजन किया जावेगा।
स्पष्टीकरण :- किसी वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता (Father) के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमिलेयर का नवीनतम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति (Husband) के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
4. नि:शक्त व्यक्तियों के लिए :-
(अ) राजस्थान नि:शक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदार) नियम, 2011 के अनुसार उपरोक्त दर्शायी गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :-
 - Locomotor disability and cerebral palsy (L.D. & C.P.)
 - O.A.-One arm affected (R or L)
 - (a) Impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic
 - O.L.- One leg affected (R or L)
 - (a) Impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic
 - B.L.-Both legs affected but not arms
 - (ii) Hearing Impairment
(ब) नि:शक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./टी.एस.पी./सहरिया/अ.पि.जा./वि.पि.जा./सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।

निःशक्तजन के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा ।

उपरोक्त दर्शाये गये निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदार) नियम, 2011 के अनुसार भरा जावेगा। निःशक्तजन के उचित नियम के अनुसार उपयुक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहां ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जावेगा।

(स) निःशक्तजन आवेदक आवेदन पत्र में यथा स्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(द) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, को अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदार) नियम, 2011 के नियमानुसार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। निःशक्तजन हेतु चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है । 40 प्रतिशत या इतनासे अधिक निःशक्तता होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा।

5. उपर्युक्त विज्ञापित पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए दर्शाये गये आरक्षित क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./ टी.एस.पी./सहरिया/अ.पि.जा./सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा । इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा और ऐसी रिक्ति को आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत नहीं किया जावेगा ।

स्पष्टीकरण :- "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत हैं और उसमें सम्मिलित हैं राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स और खेलों में या बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फेडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिगत या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :-

एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों, या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आईटम) में या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो ।

6. शैक्षणिक योग्यताएँ :-

क्र.सं.	पद	शैक्षणिक योग्यता
1	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिप्रीधारी	1. भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि या सरकार द्वारा इसके समतुल्य घोषित अहर्ता । 2. देवनागिरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।
2	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिप्लोमाधारी	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवृत्ति परीक्षा से छूट के प्रयोजन के लिए हो । 2. देवनागिरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।
3	कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिकी) डिप्रीधारी	1. भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय से यांत्रिकी अभियांत्रिकी में उपाधि या सरकार द्वारा इसके समतुल्य घोषित अहर्ता । 2. देवनागिरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।
4	कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिकी) डिप्लोमाधारी	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिकी अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त यांत्रिकी अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवृत्ति परीक्षा से छूट के प्रयोजन के लिए हो । 2. देवनागिरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।

पद क्रम संख्या 1 से 4 के पदों की योग्यताओं के साथ निम्न परन्तुक भी लागू होगा कि :-

उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अहर्ता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे विभाग द्वारा चयन हेतु परीक्षा की दिनांक 10.11.2013 तक अपेक्षित शैक्षणिक अहर्ता अर्जित करने का भूत देना होगा ।

स्पष्टीकरण :- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक उपाधि/डिप्लोमा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं उपाधि/डिप्लोमा परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं, ऐसे आवेदक आवेदन पत्र के शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक कॉलम में "APP"(applied) का उल्लेख करें।

7. वेतनमान:- ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परीक्षा की कालावधि (2 वर्ष) के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक (वर्तमान में रु 10000/-) संदत्त किया जायेगा। परीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही वेतनमान 9300-34800 (पीबी-2) ग्रेड पे 3200 (पद क्रम संख्या 1 से 4 के लिए) अनुज्ञात किया जायेगा, उच्चतर प्रारंभिक वेतन देय नहीं है।

8. आयु:- (पद क्रम संख्या 1 से 4 के लिए)
दिनांक 01.01.2014 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो एवं 35 वर्ष का नहीं हुआ हो। साथ ही निम्न परन्तुक भी लागू होंगे :

(i) सेवा में किसी पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये गये व्यक्ति, आयु सीमा के भीतर समाझे जावेंगे यदि वे उस समय, जब वे प्रारंभिक रूप से नियुक्त किये गये थे, और आयु सीमा के भीतर रहे थे, चाहे उन्होंने विभाग के समक्ष अन्तिम रूप से उपस्थित होते समय आयु सीमा पार कर ली हो, तब उन्हें दो अवसर तक अनुज्ञात किये जायेंगे यदि वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस रूप में पात्र हुए होते,

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/टी.एस.पी./सहरिया/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी या सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ टी.एस.पी./सहरिया/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।

(iii) उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका हो और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, लागू नहीं होगी,

(iv) अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में ऊपर वर्णित कारावारा की अवधि के बराबर छूट दी जायेगी बशर्ते कि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था,

(v) कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणागिक आयु विहित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समाजा जायेगा,

(vi) राज्य के कार्यकलापों के समन्वय में अधिष्ठायी तौर से सेवा कर रहे व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा $40 + 2 = 42$ वर्ष होगी,

(अ)

(vii) विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी का प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण-पत्र (सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री) प्रस्तुत करना होगा।

नोट:- अधिकतम आयु सीमा में छूट के प्रावधान " Non cumulative " है अर्थात् एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा, अपितु किसी भी एक प्रावधान का ही लाभ लिया जा सकता है।

(viii) निर्मुक्त आपात, कमीशनप्राप्त अधिकारियों को और लघु सेवा कमीशनप्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेंगे चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।

9. जाति प्रमाण-पत्र :-

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ टी.एस.पी./सहरिया वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उसके पिता के नाम से जारी प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।

(ii) राजस्थान के सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टी.एस.पी. व सहरिया जाति के आवेदकों को जारी जाति प्रमाण-पत्र विचारणीय होंगे।

(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र अर्थात् आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 6 माह पूर्व तक की अवधि में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी हुआ होना चाहिए जिसमें क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टि स्पष्टतः अंकित होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इस वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता/माता के नाम/निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

10. नियुक्ति हेतु निरर्हता:-

(i) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या इसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक संतानों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हता नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01 जून 2002 को विद्यमान उसके संतानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी की पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जावेगी।

(2)

(ii) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं है।

(iii) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान नहीं करती। इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट देय नहीं है।

(iv) शासन के परिपत्र क्रमांक प. 6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह का पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (सिंचाई शाखा) सेवा नियम 1967 के नियम में वर्णानुसार नियोजन के लिए अपात्र व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जायेगा।

11. पेंशन :-

दिनांक 01.01.2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

12. विवाह पंजीयन :-

आवेदकों के विवाहित होने की स्थिति में आवेदन पत्र में पति/पत्नी का नाम उल्लेखित करना तथा विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र या विवाह पंजीयन नहीं होने की स्थिति में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। (अपत्र संलग्न)

13. परीक्षा:-

कनिष्ठ अभियन्ता -सिविल/विद्युत (डिप्रीधारी/डिप्लोमाधारी) की सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 10.11.2013 को दो पारियों में संभाग जयपुर मुख्यालय पर निम्न प्रकार आयोजित की जायेगी:-

(i)	कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिप्रीधारी)	प्रथम पारी
(ii)	कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिकी (डिप्रीधारी)	प्रातः 9 से 11 बजे
(iii)	कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिप्लोमाधारी)	द्वितीय पारी
(iv)	कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिकी (डिप्लोमाधारी)	अपराह्न 2 से 4 बजे

परीक्षा बहुविकल्पात्मक (ऑब्जेक्टिव टाईप) प्रश्न पत्रों पर आधारित होगी। प्रत्येक पद हेतु परीक्षा के पूर्णांक 100 होंगे तथा परीक्षा अवधि 2 घण्टे की होगी। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर काली बाल प्वाइंट पेन से निर्धारित ओ0एम0आर0 शीट में अभ्यर्थी द्वारा अंकित किये जायेंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न का 1/3 अंक काटा जायेगा। गलत उत्तर से असत्य उत्तर या बहुविकल्प

उत्तर अग्रिम है । 20 प्रतिशत प्रश्न एवं अंक पार्ट-ए एवं 80 प्रतिशत प्रश्न एवं अंक पार्ट-बी में से होंगे ।

14. कनिष्ठ अभियन्ता सिविल/यांत्रिकी (डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी) की सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम :-

(1) कनिष्ठ अभियन्ता - सिविल (डिग्रीधारी)

Part-A

1. राज्य प्रशासन - कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका
2. जिला प्रशासन - जिलाधीश, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार - कार्य एवं भूमिका
3. स्थानीय प्रशासन - ग्रामीण एवं नगरीय
4. पंचायती राज व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, जनप्रतिनिधिगण- कार्य एवं भूमिका
5. महात्मा गांधी नरेगा
6. राजस्थान की संस्कृति व धरोहर (सीति रेवाज, मेले, त्यौहार, उत्सव)
7. राजस्थान का सामान्य भूगोल

Part-B

:- CIVIL ENGINEERING:-

1. Building Technology and Construction Management:
2. Fluid Mechanics:
3. Surveying, Estimating Costing & Field Engineering:
4. Irrigation & Water Resources:
5. Theory of Structures and Strength of Materials
6. Structural Analysis:
7. Soil Mechanics and Foundation Engineering:
8. Design of R.C.Concrete and Masonry Structures:
9. Design of Steel Structures:
10. Construction Technology
11. Auto-Cad Civil Engineering Drawing

(2) कनिष्ठ अभियन्ता - सिविल (डिप्लोमाधारी)

Part-A

1. राज्य प्रशासन - कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका
2. जिला प्रशासन - जिलाधीश, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार - कार्य एवं भूमिका
3. स्थानीय प्रशासन - ग्रामीण एवं नगरीय
4. पंचायती राज व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, जनप्रतिनिधिगण- कार्य एवं भूमिका
5. महात्मा गांधी नरेगा
6. राजस्थान की संस्कृति व धरोहर (सीति रेवाज, मेले, त्यौहार, उत्सव)
7. राजस्थान का सामान्य भूगोल

OR

Part-B

-: CIVIL ENGINEERING:-

- 1- Building Technology and Construction Management:
- 2- Surveying, Estimating & Costing
- 3- Strength of Materials:
- 4- Reinforced Concrete Design:
- 5- Irrigation & Water Resources:
- 6- Soil Engineering:
- 7- Auto-Cad Civil Engineering Drawing

(3) कनिष्ठ अभियन्ता – यांत्रिकी (डिग्रीघारी)

Part-A

1. राज्य प्रशासन – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका
2. जिला प्रशासन – जिलाधीश, उपखण्ड अधिकारी एवं सहशीलदार – कार्य एवं भूमिका
3. स्थानीय प्रशासन – ग्रामीण एवं नगरीय
4. पंचायती राज व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, जनप्रतिनिधिमण्डल – कार्य एवं भूमिका
5. महात्मा गांधी नरेगा
6. राजस्थान की संस्कृति व धरोहर (रीति रीवाज, मेले, त्यौहार, उत्सव)
7. राजस्थान का सामान्य भूगोल

Part-B

-: MECHANICAL ENGINEERING:-

1. Fluid Mechanics.
2. Fluid Machines
3. Design of Machine Components
4. Kinematic & Dynamics of Machines
5. Turbo Machines
6. Auto Cad – Mechanical Engineering Drawings
7. Thermo-Dynamics
8. Heat Transfer
9. Mechanics of Solid
10. Machine Drawings

(4) कनिष्ठ अभियन्ता - यांत्रिकी (डिप्लोमाधारी)

Part-A

1. राज्य प्रशासन - कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका
2. जिला प्रशासन - जिलाधीश, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार - कार्य एवं भूमिका
3. स्थानीय प्रशासन - ग्रामीण एवं नगरीय
4. पंचायती राज व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, जनप्रतिनिधिमण्डल - कार्य एवं भूमिका
5. महात्मा गांधी नरेगा
6. राजस्थान की संस्कृति व धरोहर (शिल्प, रीवाज, मेले, त्यौहार, उत्सव)
7. राजस्थान का सामान्य भूगोल

Part-B

MECHANICAL ENGINEERING:-

1. Fluid Mechanics.
2. Fluid Machines
3. Internal Combustion Engines
4. Strength of Materials
5. Theory of Machines
6. Auto Cad - Mechanical Engineering Drawings
7. Thermo-Dynamics
8. Machine Drawings

(5) Pattern of Question Papers (for 1,2,3 & 4)

1. Objective Type Question Paper.
2. Maximum Marks: 100
3. Number of Questions: 100
4. Duration of Paper : Two Hours.
5. All Questions carry equal marks.
6. There will be Negative Marking.
7. 20% Questions will be from Part-A, and 80% questions from Part-B.

15 चयन का आधार :-

कनिष्ठ अभियन्ता - सिविल/यांत्रिकी (डिप्लोमा/डिप्लोमा) की आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की वरीयता अलग-अलग होगी तथा प्राप्तकों के आधार पर निर्धारित वरीयता के क्रम में चयन किया जावेगा ।

समान वरीयता (Merit) प्राप्त करने वाले अर्थात् दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तकों होने पर इन अभ्यर्थियों में अधिक आयु वाले को उच्च वरीयता क्रम प्रदान किया जावेगा । जन्मतिथि तथा प्राप्तकों समान होने पर अभ्यर्थियों की उच्च शैक्षणिक योग्यता के क्रम में वरीयता निर्धारण की जावेगी । उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी । उपरोक्त समस्त परिस्थितियां समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण किये गये वर्ष के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी ।

OK

16. आवेदन कैसे करें :-

- (i) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व निम्नानुसार तैयारी रखें :-
(अ) आवेदक अपनी पासपोर्ट साईज नवीनतम एवं रंगीन फोटो जे.पी.ई.जी. (अधिकतम 100 के.बी.) की स्कैन करें ।
(ब) स्कैन की गई नई फोटो जे.पी.ई.जी को अपलोड करें ।
(स) आवेदक अपने हस्ताक्षर एवं बांये हाथ के अंगूठे के निशान (अधिकतम 100 के.बी.) स्कैन कर अपलोड करें ।
(द) आवेदक वेबसाइट <http://examwrd.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का सावधानी से अवलोकन करें ।
- (ii) आवेदन पत्र प्राप्ति :- कनिष्ठ अगियन्ता - सिविल/विद्युत (डिप्रीधारी/डिप्लोमाधारी) सीधी भर्ती परीक्षा 2013 के लिए आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट <http://examwrd.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।
- (iii) आवेदन पत्र जमा कराना :- आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों की ऑनलाइन सही पूर्ति करें ।
- (iv) अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें ।
नोट :- राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं ।

17. अन्य

1. आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही उन्हें इस परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रोविजनल रूप से अनुमति प्रदान की जावेगी । दस्तावेजों की वैधता की जाँच परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरान्त की जावेगी एवं इसमें किसी प्रकार की कमी/गलती पाये जाने पर आवेदक का चयन निरस्त कर दिया जावेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा ।
2. ऐसे किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पत्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा ।
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, उक्त पदों हेतु आवेदन नहीं कर सकते ।
4. जो आवेदक पहले से राजकीय सेवा में/राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में/किसी प्रकार के अन्य संगठनों में/रैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, उन्हें नियुक्ति के समय अपने उस नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उपक्रमों इत्यादि में कार्यरत हैं, उन्हें अपने नियुक्ता को इस विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये ।




18. कृपया ध्यान दें :-

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2013 रात्रि 12.00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे । तत्पश्चात वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन सिस्टम स्वतः ही बन्द हो जायेगा । ऑनलाइन आवेदन की समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने पर आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जावेगा । ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के लिए जिम्मेदारी आवेदक की होगी । आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्तइसमे किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही इस बाबत प्रस्तुत किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा ।
2. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभाग के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ-साथ सम्बन्धित सेवा नियमों का भली प्रकार अध्ययन कर लें ।
3. विभाग द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है ।
4. सामान्यतः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान के निःशक्त व्यक्तियों के नियोजन नियम में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें विभाग को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी, परन्तु अज्ञानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी ।
5. अनुचित साधनों की रोकथाम : परीक्षार्थियों को विभाग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा । ऐसा ना करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध विभाग/केन्द्राधीक्षक/परीक्षा नियंत्रक जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है तथा उन परीक्षार्थियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा-(अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है ।
6. परीक्षार्थी परीक्षा के प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 घण्टों (3 दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय) जल संसाधन जयपुर कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, राजस्थान, भवानी सिंह रोड, जयपुर को प्रस्तुत कर दे । नियत समय पर प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर विभाग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी । तीन दिवस के पश्चात प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय) जल संसाधन जयपुर, कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजस्थान, भवानी सिंह रोड जयपुर द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा ।

(2)

7. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आयेगा। परीक्षार्थी अपने साथ साथ परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंसिल, प्रवेश पत्र या निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है, तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक की भी नहीं होगी।
8. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित परीक्षार्थी के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
9. इस सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रतिगोपी परीक्षा की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट <http://examwrd.rajasthan.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।
10. आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।
11. प्रश्नपत्रों के माध्यम (भाषा) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप निम्न प्रकार होंगे।

1. कनिष्ठ अभियन्ता सिविल/यांत्रिकी (डिग्री / डिप्लोमाधारी)	पार्ट-ए पार्ट-बी	हिन्दी एवं अंग्रेजी (द्विभाषीय) अंग्रेजी (एकभाषीय)
2. कनिष्ठ अभियन्ता सिविल/यांत्रिकी (डिग्री / डिप्लोमाधारी)	पार्ट-ए पार्ट-बी	हिन्दी एवं अंग्रेजी (द्विभाषीय) अंग्रेजी (एकभाषीय)


 (पी.एल.सौलंकी)
 मुख्य अभियन्ता
 जल संसाधन विभाग,
 राजस्थान जयपुर

②

प्रपत्र

—: शपथ पत्र :-

मैं _____ पुत्र/पुत्रीश्री/श्रीमती _____ निवासी _____
शपथपूर्वक बयान करता हूँ /करती हूँ कि मेरा विवाह
श्रीमती/श्री _____ निवासी _____ के साथ सम्पन्न
हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक _____ को सम्पन्न होने के
कारण पंजीकृत नहीं है ।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री _____ निवासी _____ के साथ
दिनांक _____ को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है ।

या

मैं _____ अविवाहित हूँ ।

या

मैं _____ विधुर/विधवा हूँ (पति/पति श्री/श्रीमती _____) ।

या

मैं तलाकशुदा हूँ (प्रमाण-पत्र संलग्न है) ।

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री _____ के साथ दिनांक _____ को सम्पन्न
हुआ था ।

हस्ताक्षर शपथ कर्ता